



बिहार सरकार
परिवहन विभाग

वाहन स्वामी कृपया ध्यान दें।

पत्रांक-04/STA-(अं0प0)-232/2012

SS/4

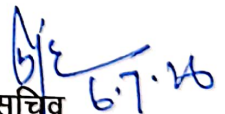
/पटना, दिनांक- 06-07-26

निदेशानुसार सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि विभिन्न वाहन स्वामियों एवं जनप्रतिनिधियों के माध्यम से परिवहन विभाग को यह सूचना प्राप्त हो रही है कि अपराधिक प्रवृत्ति अथवा संदिग्ध पृष्ठभूमि वाले कतिपय व्यक्तियों द्वारा बसों के परिचालन हेतु परमिट प्राप्त किया जा रहा है, जिसके कारण एक-दूसरे वाहन स्वामी के बीच दुर्व्यवहार हो रहे हैं।

उपर्युक्त के आलोक में यह आवश्यकता है कि स्वच्छ चरित्र वाले व्यक्ति को ही बसों के परिचालन हेतु परमिट निर्गत किया जाय ताकि परिवहन व्यवसाय के दुरुपयोग की संभावना को न्यून किया जा सके।

उपर्युक्त के आलोक में परमिट प्राप्त करने हेतु संबंधित वाहन स्वामी का चरित्र प्रमाण पत्र को अनिवार्य कागजात बनाये जाने के संबंध में राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की दिनांक-07.07.2026 को पूर्वाह्न 11:00 बजे की प्रस्तावित बैठक में निर्णय लिया जाना है।

अतः यदि किसी वाहन स्वामी को उपरोक्त विषय पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति/सुझाव हो, तो प्राधिकार की निर्धारित बैठक में ससमय उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं।


सचिव, 6.7.26

राज्य परिवहन प्राधिकार,
बिहार, पटना।